एकल संवर्ग पद और याचिकाकर्ता को उक्त पद से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित/भेजा गया था जो उनके पास था।इस प्रकार, अपने मूल विभाग में वापस भेजे जाने की स्थिति में, वह अपने मूल पद पर वापस तैनात होने का हकदार होगा जो कि कृषि निदेशक, पंजाब है।हम इस विवाद से निपटने से खुद को रोकते हैं क्योंकि यह पूर्व-परिपक्व है।यदि प्रत्यावर्तन पर याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के अनुसार कानून के अनुसार नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो वह एक उपयुक्त मंच के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(29) पूर्वगामी चर्चा के कारण, हम इस याचिका को रिट ऑफ़ सर्शियोरारी से अनुमति देते हैं और विवादित आदेश दिनांकित 10 जून, 1999 जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, पनसीड के पद पर बने रहने का आदेश दिया गया है, को रद्द करते हैं। हालाँकि, सरकार याचिकाकर्ता को चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, पनसीड के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए उन्होंने याचिका में सहमति दी है और मौखिक रूप से भी।यदि सरकार याचिकाकर्ता को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पनसीड के रूप में नियुक्त करने का निर्णय नहीं लेती है, तो सरकार याचिकाकर्ता को वापस बुलाएगी और उसे कानून के अनुसार नियुक्ति देगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आरएनआर

न्यायमूर्तिगण एन. के. सोधी और एन. के. सूद, के समक्ष

कमल सूद,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ वि अन्य -उत्तरदाता।

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. *1887*

26अक्टूबर, 1999

वित्त अधिनियम, *1997*-धारा 67 *(2)*-आय योजना का स्वैच्छिक प्रकटीकरण स्कीम, *1997*- वी.डी.आई.एस. के तहत डिक्लेरेंट ने एक दिन देर से ब्याज के साथ कर जमा किया-देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं-आयुक्त धारा *67 (2)* के तहत घोषणा को अस्वीकार करने के अधिकार क्षेत्र में थे जो कर जमा करने में देरी को माफ करने की शक्ति नहीं देता है-योजना का सख्ती से अर्थ लगाया जाना है-घोषणा की तारीख से कर जमा करने के लिए दी गई *90* दिनों की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

[श्रीमती. लक्ष्मी मित्तल बनाम आयकर आयुक्त, 2381 आई.टी. आर. 97 (डी. बी.), असहमत]

अभिनिर्धारित किया कि आयुक्त याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा को अस्वीकार करने में सही था।वित्त अधिनियम की धारा 67 (2) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि यदि घोषणाकर्ता पहले स्वेच्छा से प्रकट की गई आय के संबंध में कर का भुगतान करने में विफल रहता है।दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति

घोषणा के अनुसार, उसके द्वारा दायर की गई घोषणा योजना के तहत कभी नहीं की गई मानी जाएगी।न तो यह धारा और न ही योजना का कोई अन्य प्रावधान आयुक्त को कर जमा करने में देरी को माफ करने की शक्ति देता है।इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में और क़ानून की भाषा अनिवार्य होने के कारण, आयुक्त को किसी भी परिस्थिति में किसी भी देरी को माफ करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।यह योजना कराधान कानून का एक हिस्सा है और इसे किसी व्यक्ति को रियायत देने की दृष्टि से तैयार किया गया था।उन लोगों का वर्ग जिन्होंने अतीत में अपनी आय का खुलासा नहीं करके कर की चोरी की है और इसलिए, इसके प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

(पैरा 7)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने लक्ष्मी मित्तल बनाम आयकर आयुक्त, 238 आई. टी. आर. 97 मामले में यह विचार व्यक्त किया कि आयुक्त कर के भुगतान में देरी को माफ कर सकता है और घोषणा को स्वीकार कर सकता है, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हैं।विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत व्यापक हैं और वे इस आधार पर आगे बढ़े जैसे कि 31 मार्च, 1998 कर जमा करने की अंतिम तिथि थी, 31 मार्च, 1998 केवल उन लोगों के लिए अंतिम तिथि है जिन्होंने 31 दिसंबर, 1997 को अपनी घोषणा दायर की थी और सभी घोषणाकर्ताओं के लिए नहीं।विद्वान न्यायाधीशों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 3 सितंबर, 1998 को जारी एक परिपत्र का भी संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया है कि 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी कर स्वीकार किया जा सकता है और इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि आयुक्त के पास देरी को माफ करने की शक्ति थी।इस परिपत्र में अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि ब्याज की गणना करने की अवधि घोषणा की तारीख से 90 दिन होगी और यदि 90वां दिन बैंक की छुट्टी होती है, तो 91वें दिन अगले कार्य दिवस के रूप में भुगतान वैध होगा।बोर्ड ने, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से कहा है लेकिन परिपत्र में यह खंड किसी भी तरह से आयुक्त को घोषणाओं को स्वीकार करने की शक्ति नहीं देता है जहां घोषणा की तारीख से 90 दिनों की अवधि से अधिक कर जमा किया जाता है।सामान्य तौर पर, हम इस मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज देते, लेकिन इस पाठ्यक्रम को अपनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि लक्ष्मी मित्तल के मामले में निर्धारित अनुपात के आधार पर भी, हमारे सामने याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा।भले ही हम लक्ष्मी मित्तल के मामले में उक्ति का पालन करते हैं, याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा को देरी के लिए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में अस्वीकार करना पड़ा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि

याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में कुछ स्पष्टीकरण दिया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।इस प्रकार आक्षेपित क्रम में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से हरपावन कुमार, अधिवक्ता।

आर. पी. साहनी, वरिष्ठ अधिवक्ता और राजेश बिंदल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति एन. के. सोधी,

(1) यह आदेश 1999 की दो रिट याचिकाओं संख्या 1887 और 2195 का निपटारा करेगा जिसमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं।चूंकि 1999 की सिविल रिट याचिका 1887 में तर्कों को संबोधित किया गया था, इसलिए तथ्य इस मामले से लिए गए हैं।

(2) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 67 (2) के तहत आयकर आयुक्त, रोहतक द्वारा पारित 21 जुलाई, 1998 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आय योजना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण, 1997 के तहत दायर घोषणा को खारिज कर दिया गया था।

, (3) याचिकाकर्ता लकड़ी का व्यवसाय कर रहा है और मेसर्स पब्लिक टिम्बर ट्रेडर्स, मथुरा रोड, फरीदाबाद नामक फर्म में भागीदार है।हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में वार्ड नंबर 1 में उनका आयकर निर्धारण किया जाता है।भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 'आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 1997' (संक्षेप में योजना) नामक एक योजना शुरू की।यह वित्त अधिनियम के अध्याय-IV में निहित है जिसमें वित्त अधिनियम की धारा 62 से लेकर 62 तक शामिल हैं।78 (दोनों समावेशी)।इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन जुटाना और उनका उपयोग करना और अतीत में कर चोरी करने वाले व्यक्तियों को अपनी अघोषित आय घोषित करने, उचित कर का भुगतान करने और भविष्य में ईमानदारी और नागरिक जिम्मेदारी का मार्ग अपनाने का अवसर प्रदान करना है।दूसरे शब्दों में, यह सरकार द्वारा पहले घोषित समान योजनाओं के अनुरूप एक माफी योजना थी।इस योजना का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम काले धन का पता लगाना और उसका उत्पादक उपयोग करना है।इस योजना के तहत एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आय का खुलासा कर सकता है जिसके लिए वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा था या जिसके लिए वह अपने द्वारा प्रस्तुत आय विवरणी में खुलासा करने में विफल रहा था या जो विवरणी देने में विफलता या अपने मूल्यांकन के लिए या अन्यथा पूरी तरह से और सही मायने में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफलता के कारण मूल्यांकन से बच गया था।इस तरह की स्वेच्छा से प्रकट की गई आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था।यह घोषणा आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र में की जानी थी।स्वैच्छिक रूप से प्रकट की गई आय के संबंध में योजना के तहत देय कर का भुगतान घोषणाकर्ता द्वारा किया जाना था और घोषणा के साथ ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण भी होना था।वित्त अधिनियम की धारा 67 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"67. घोषणाकर्ता द्वारा देय ब्याज-*(1)* धारा 66 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, घोषणाकर्ता उस धारा के तहत कर का भुगतान किए बिना घोषणा दायर कर सकता है और घोषणाकर्ता

घोषणा दाखिल कर सकता है और घोषणाकर्ता घोषणा दाखिल करने की तारीख से तीन महीने के भीतर हर महीने या महीने के एक हिस्से के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ कर का भुगतान कर सकता है, जो घोषणा दाखिल करने की तारीख से शुरू होने वाली और ऐसे कर के भुगतान की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल है और तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर ऐसे भुगतान का प्रमाण दाखिल कर सकता है।

(2) यदि घोषणाकर्ता घोषणा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले स्वेच्छा से प्रकट की गई आय के संबंध में कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा दायर घोषणा को इस योजना के तहत कभी नहीं किया गया माना जाएगा।"

(4) इस प्रावधान के तहत घोषणा कर का भुगतान किए बिना दायर की जा सकती थी और उस स्थिति में घोषणा करने वाले को घोषणा की तारीख से तीन महीने के भीतर कर का भुगतान करना आवश्यक था।उप-धारा (2) में प्रावधान है कि यदि घोषणाकर्ता घोषणा दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा दायर घोषणा को योजना के तहत कभी नहीं किया गया माना जाएगा।

(5) हमारे समक्ष याचिकाकर्ता ने 30 दिसंबर, 1997 को आवश्यक घोषणा दायर की, जिसमें घोषित किया गया कि उसकी अघोषित आय रु। 1,25,000।इस आय पर देय कर रु। 37, 500।उन्होंने घोषणा के साथ-साथ अघोषित आय पर कर का भुगतान नहीं किया और इसलिए, वित्त अधिनियम की धारा 67 के अनुसार वे घोषणा की तारीख से तीन महीने के भीतर उस कर का भुगतान विलंबित भुगतान के लिए ब्याज के साथ कर सकते थे।चूंकि घोषणा 30 दिसंबर, 1997 को दायर की गई थी, इसलिए तीन महीने 29 मार्च, 1998 को समाप्त हो गए, जो एक रविवार था।वह अगले दिन यानी 30 मार्च, 1998 को कर जमा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 31 मार्च, 1998 को इसका भुगतान किया, यानी तीन महीने की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद।घोषणा की प्राप्ति पर आयकर आयुक्त, रोहतक ने याचिकाकर्ता को एक कारणदर्शक नोटिस दिया जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि उनके द्वारा दायर घोषणा को योजना के तहत कभी नहीं किया गया माना जाए।इस सूचना के जवाब में, याचिकाकर्ता का एक प्रतिनिधि 6 मई, 1998 और 12 मई, 1998 को आयुक्त के समक्ष पेश हुआ और अनुरोध किया कि भुगतान करने में देरी केवल एक दिन की है, इसलिए इसे माफ कर

दिया जाए।आयुक्त का विचार था कि वित्त अधिनियम की धारा 67 (2) को देखते हुए देरी को माफ नहीं किया जा सकता है और इसलिए 21 जुलाई, 1998 के आदेश द्वारा यह माना गया कि योजना के तहत घोषणा कभी नहीं की गई थी।इसलिए वर्तमान याचिका।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कर जमा करने में देरी केवल एक दिन की थी और इसलिए, आयुक्त को इसे माफ कर देना चाहिए था क्योंकि राजस्व को कोई नुकसान नहीं हुआ था और विलंबित अवधि के लिए ब्याज भी दिया गया था।

उक्त द्वारा श्रीमती लक्ष्मी मित्तल बनाम आयकर आयुक्त ***(1)*** में इस नयायल्य के एक खंड पीठ के फैसले से आश्रय लिया। ।दूसरी ओर, विभाग के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. साहनी ने पुरजोर आग्रह किया कि यह योजना आयुक्त को कर जमा करने में देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं देती है और इसलिए, आयुक्त के पास याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे देरी केवल एक दिन की ही क्यों न हो।पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों से, हमारे विचार के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या आयुक्त के पास योजना के तहत स्वेच्छा से प्रकट की गई आय पर देय कर जमा करने में देरी को माफ करने की शक्ति है।

(7) हमने पक्षकारों के अधिवक्तगण को सुना और हमारा यह दृष्टिकोण है कि आयुक्त याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा को अस्वीकार करने में सही थे।वित्त अधिनियम की धारा 67 (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि घोषणाकर्ता घोषणा दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले स्वेच्छा से प्रकट की गई आय के संबंध में कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा दायर की गई घोषणा को योजना के तहत कभी नहीं किया गया माना जाएगा।न तो यह धारा और न ही योजना का कोई अन्य प्रावधान आयुक्त को कर जमा करने में देरी को माफ करने की शक्ति देता है।इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में और क़ानून की भाषा अनिवार्य होने के कारण, आयुक्त को किसी भी परिस्थिति में किसी भी देरी को माफ करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।यह योजना कराधान कानून का एक हिस्सा है और इसे उन लोगों के एक वर्ग को रियायत देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था जिन्होंने अतीत में अपनी आय का खुलासा नहीं करके कर चोरी की है और इसलिए इसके प्रावधानों का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए।एक व्यक्ति को योजना का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है जब वह इसके चार कोनों के भीतर आता है और अन्यथा नहीं।यह सच है कि घोषणा 31 दिसंबर, 1997 को या उससे पहले की जा सकती है और जहां कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, 1997 को घोषणा करता है, वह घोषणा के साथ या तीन महीने के भीतर 31 मार्च, 1998 तक कर जमा कर सकता है, लेकिन जिन्होंने पहले घोषणा दायर की थी, तीन महीने की अवधि घोषणा की तारीख से गिनी जाएगी, न कि 31 दिसंबर, 1997 से।दूसरे शब्दों में, कर जमा करने के लिए तीन महीने की अवधि की गणना करने के लिए अनिवार्य शर्त वास्तव में घोषणा दाखिल करने की तारीख है और ऐसी घोषणा दाखिल करने के लिए अनुमत अंतिम तिथि नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि लक्ष्मी मित्तल के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत ने यह विचार रखा कि आयुक्त कर के भुगतान में देरी को माफ कर सकते हैं और घोषणा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से सम्मानजनक असहमति रखते हैं।विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत व्यापक हैं और वे इस आधार पर आगे बढ़े जैसे कि 31 मार्च, 1998 कर जमा करने की अंतिम तिथि थी, 31 मार्च, 1998 केवल उन लोगों के लिए अंतिम तिथि है जिन्होंने अपनी घोषणा

(1) 2381.टी. आर. 97

31दिसंबर, 1997 को दर्ज की थी और सभी उद्घोषकों के लिए नहीं।विद्वान न्यायाधीशों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 3 सितंबर, 1998 को जारी एक परिपत्र का भी संदर्भ दिया है, जिसमें कहा गया है कि कर को 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है और इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि आयुक्त के पास देरी को माफ करने की शक्ति थी।इस परिपत्र में अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि ब्याज की गणना करने की अवधि घोषणा की तारीख से 90 दिन होगी और यदि 90वां दिन बैंक अवकाश होता है, तो 91वें दिन अगले कार्य दिवस के रूप में भुगतान वैध होगा।बोर्ड ने, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन परिपत्र में यह खंड किसी भी तरह से आयुक्त को घोषणा स्वीकार करने की शक्ति नहीं देता है, जहां घोषणा की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद कर जमा किया जाता है।सामान्य तौर पर, हम इस मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज देते, लेकिन इस पाठ्यक्रम को अपनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि लक्ष्मी मित्तल के मामले *(ऊपर)* में निर्धारित अनुपात के आधार पर भी हमारे सामने याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा।लक्ष्मी मित्तल के मामले (ऊपर) में याचिकाकर्ता ने तीन महीने के भीतर जमा करने में विफलता के लिए स्पष्टीकरण दिया था क्योंकि वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उस स्पष्टीकरण को पीठ ने स्वीकार कर लिया था।हमारे समक्ष

मामले में, याचिकाकर्ता ने आयुक्त के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जब उनका प्रतिनिधि 6 मई, 1998 और 12 मई, 1998 को आयुक्त के समक्ष पेश हुआ और देरी की माफी मांगी क्योंकि यह केवल एक दिन की थी।यह देरी क्यों हुई, यह नहीं बताया गया।इसलिए, भले ही हम लक्ष्मी मित्तल के मामले (ऊपर) में उक्ति का पालन करते हैं, याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा को देरी के लिए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में खारिज कर दिया जाना था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका पर कुछ स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।इस प्रकार आक्षेपित क्रम में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(8) परिणाम में, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे ख़ारिज किया जाता है।कॉस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा

न्यायमूर्तिगणजवाहर लाई गुप्ता और वी. एम. जैन के समक्ष

डॉ. रदानंदन जीवन डैश,-पिटिशनरवर्सस

डॉ. एन. के. गांगुली और एक और-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16547

20दिसंबर, 1999

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, नियम, *1967*-आर. एल. *7*-नियम 7 *(4)* नियुक्ति प्रदान करता है।